न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान – बलबीर सिंह बनाम तहसीलदार सीकर

किस्म मुकदमा – प्रा0–पत्र 136 एल.आर.एक्ट 1956 मुकदमा नं विविध 46/वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16.04.2025	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार सीकर के पत्रांक 6034 दिनांक 28.10.2024 द्वारा राजस्व ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील व जिला सीकर खसरा नम्बर 897/2, 899/2, 48, की तरमीम दुरूस्ती बाबत् रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर होकर प्रभावित पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आ.ता.पेशी दिनांक 30.04.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, सीकर	
30/4	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 15/5/25 को पेश हो।	
15/5	पत्रावली पेश। तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 3/6/25 को पेश हो।	
3/6	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 30/6/25 को पेश हो।	
30/6	पत्रावली पेश। प्रकरण में प्रभावित पक्षकारों को तकनीकी विधिवत् कार्यवाही की जा चुकी है। वादी/प्रार्थी तकनीकी पक्षकार/खातेदार दादिया नहीं। अतः उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही क्रमशः में लाई जानी है। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार के तथ्यों से सन्तुष्ट होने पर, रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा खसरा नम्बर 897/2, 899/2 वाले ग्राम दादिया की तरमीम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर आवश्यक पत्रावली किया। पत्रावली रजिस्टर मुताबिक होकर नम्बर से कम है, पत्रावली दफ्त है, निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी	